आवश्यक

पत्र संख्या–ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/2018–19/ 1930 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिष्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वि0अनु0शा0)

लखनऊ:: दिनॉक:: 13, नवम्बर,2018

समस्त,

जोनल एडीशनल कमिश्नर/

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा–67 के अन्तर्गत किसी कराधेय व्यक्ति अथवा माल के परिवहन के कारोबार में लगे व्यक्ति अथवा किसी भण्डागार या गोदाम के स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा किसी अन्य स्थान के निरीक्षण एवं कतिपय परिस्थितियों में तलाशी/अभिग्रहण के विस्तृत प्राविधान किये गये हैं, जिन्हें इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–ज्वा0कमि0 (वि0अनु0षा0)/मु0/स0प0/17–18/1442/वाणिज्य कर दिनॉक 30.08.2017 द्वारा परिपत्रित किया गया हैं।

मुख्यालय स्तर से अनुश्रवण के दौरान यह अनुभव किया जा रहा है कि वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा जॉच के पूर्व व्यापारी के रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेन्ट, रिफण्ड तथा ई वे बिल से संबंधित आनलाइन डेटा का पूर्णरूप से विश्लेषण नहीं किया जा रहा है एवं डेटा के विश्लेषण तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर एक सुविचारित योजना के आधार पर वि0अनु0शा0 जॉच की कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा रही है। जॉच हेतु व्यापारी का चयन भी किसी वस्तुनिष्ठ प्रणाली के आधार पर नहीं किया जा रहा है, जिससे वि0अनु0शा0 जॉचों की संख्या अधिक होने के बावजूद गुणवत्तापरक वि0अनु0शा0 जॉच सम्पादित नहीं की जा रही है।

वि0अनु0शा0 जॉच की कार्यवाही को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए SIB Management System (sms) माड्यूल का निर्माण किया गया है, जिससे वि0अनु0शा0 संबंधी केस का प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है। वि0अनु0शा0 जॉच हेतु व्यापारी के चयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक व्यापारी की प्रोफाइल उनके आनलाईन उपलब्ध विवरणों के आधार पर साफ्टवेयर से ही निर्मित की जा सके। इस निमित्त वि0अनु0शा0 जॉच हेतु व्यापारी के चयन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पैरामीटर तय किये जाने है। इस संबंध में अपना मन्तव्य/सुझाव दिनॉक 25.11. 2018 तक वि0अनु0शा0–अनुभाग वाणिज्य कर, मुख्यालय की ई–मेल ctsibhqlu-up@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेष।